# प्रथम सूचना रिपोर्ट

**(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)**

1. जिला चौकी – भ्र0नि0 ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना– प्र0आ0के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष– 2022
प्र0सू0रि0 सं......310/2022...... दिनांक..........5/8/2022..........

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(2) अधिनियम .............................. धाराएं ....................

(3) अधिनियम....................................... धाराएं.................................

(4) अन्य अधिनियम एवं ...... धाराएं.................................

3. (क) घटना का दिन–बृस्पतिवार दिनांक. 04.08.2022 से दिनांक...11.45 एएम........ तक

पहर..................... बजे से .............................

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना .......... दिनांक-- 27.07.2022 समय : 01.40 पीएम

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......98.............. समय.......4:20 pm.......

4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित

1. घटना स्थल का ब्यौरा
2. (क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी से बजानिब पूर्व–दक्षिण दिशा बफासला करीब 75 किमी.
............................................................ बीट संख्या..........

(ख) पता – ग्राम पंचायत भवन मलवाणी का मैनगेट

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम.................................................... जिला ..................................................

6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला)

(क) नाम– श्री सतवीर

(ख) पिता/पति का नाम– श्री हरिराम

(ग) जन्म तिथि/उम्र 45 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (ड़) पासपोर्ट संख्या.................................

जारी करने की तिथि.................................... जारी करने का स्थान.......................................

(च) व्यवसाय– .......

(छ) पता– निवासी गांव रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1.श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामेश्वर जाति–जाट, उम्र–55 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण..........................................कोई नहीं

9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :– आरोपित श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परिवादी श्री सतवीर कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण का भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सही कर भुगतान करवाने की एंवज में 20,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर सत्यापन के दौरान 5000/–रूपये प्राप्त किये व वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा 15000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करना, जो आरोपी श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक के पहने कुर्ते की दाहिनी जेब से बरामद होना, श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक को परिवादी से 15,000/–रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना।

10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य–.................... ट्रेप राशि **15,000/–रू0**

11. **प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु**

सेवा में, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, हनुमानगढ। विषयः—रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मन् प्रार्थी सतवीर पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ का रहने वाला हूं। मेरी कृषि भूमि मलवानी ग्राम में है। मैनें मेरी कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण हेतु ई मित्रा नोहर से कृषि विभाग में अप्लाई किया था जिस पर करीब 10—15 दिन पहले कृषि ग्राम सेवक श्री दयाराम का मेरे मोबाईल पर फोन आया ओर उन्होने मुझे बताया कि मेने आपका चयन आपके खेत में डिग्गी निर्माण हेतु करवा दिया है, आप मलवानी ग्राम में आकर मुझसे मिल लो। इस पर मैं ग्राम सेवक श्री दयाराम के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि आपका चयन मेंने करवाया है ओर आपको तीन लाख चालीस हजार रूपये मिलने हैं। अगर आप मुझे उक्त कार्य हेतु 40 हजार रूपये रिश्वत के दोगे तो ही आपके उक्त तीन लाख 40 हजार रूपये पास होंगे वरना मैं ये डिग्गी की फाईल केन्सिल करवा दूंगा। मेरे द्वारा कहने पर की मेरे पास इतने रूपये नही है तो उसने कहा की चलो 20 हजार तो देने ही पड़ेगें, इससे कम नहीं होगा वरना आपकी फाईल लटक जायेगी। श्रीमान जी उक्त श्री दयाराम कृषि ग्राम सेवक मेरे से मेरे जायज कार्य हेतु 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है ओर उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर डिग्गी कैन्सिल करवाने का कह रहा है। मैं मेरे जायज काम हेतु रिश्वत नहीं देकर ग्राम सेवक श्री दयाराम को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है ओर न ही कोई लेनदेन बकाया है। कृप्या कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी —एसडी—सतवीर पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ दुरभाष/— 81047—61001

## कार्यवाही पुलिस

दिनांक :—27.07.2022 समयः—01.40 पीएम स्थान एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री सतवीर पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर अति0 पुलिस अधीक्षक के नाम एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस के सुपुर्द किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मेरी कृषि भूमि मलवानी ग्राम में है। मैंनें मेरी कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण हेतु ई मित्रा नोहर से कृषि विभाग में अप्लाई किया था जिस पर करीब 10—15 दिन पहले कृषि ग्राम सेवक श्री दयाराम का मेरे मोबाईल पर फोन आया ओर उन्होने मुझे बताया कि मेने आपका चयन आपके खेत में डिग्गी निर्माण हेतु करवा दिया है, आप मलवाली ग्राम में आकर मुझसे मिल लो। इस पर मैं ग्राम सेवक श्री दयाराम के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि आपका चयन मेंने करवाया है ओर आपको तीन लाख चालीस हजार रूपये मिलने हैं। अगर आप मुझे उक्त कार्य हेतु 40 हजार रूपये रिश्वत के दोगे तो ही आपके उक्त तीन लाख 40 हजार रूपये पास होंगे, वरना मैं ये डिग्गी की फाईल केन्सिल करवा दूंगा। मेरे द्वारा कहने पर की मेरे पास इतने रूपये नहीं है तो उसने काह की चलो 20 हजार तो देने ही पड़ेगें, इससे कम नहीं होगा वरना आपकी फाईल लटक जायेगी। श्रीमान जी उक्त श्री दयाराम ग्राम सेवक मेरे से मेरे जायज कार्य हेतु 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है ओर उक्त रिश्वत राशि नहीं देने पर डिग्गी कैन्सिल करवाने का कह रहा है। मैं मेरे जायज काम हेतु रिश्वत नहीं देकर ग्राम सेवक श्री दयाराम को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री संजय को गोपनीय सत्यापन बाबत कहा गया तो उसने स्वीकृति दी। परिवादी श्री सतवीर को कार्यालय का डिजीटेल टेप रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधी समझाई गई तथा ब्युरो के श्री संदीप कुमार कानि0 273 से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी का पता कर आपको सुचित कर दुंगा, आप संदीप कुमार कानि0 को मेरे पास भेज देना मैं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा, परिवादी ने बताया की मैं दयाराम कृषि ग्राम सेवक को सत्यापन के दौरान 5000/—रूपये दूंगा नही तो वह मेरे से बदतमीजी से बात करेगा, 5000/—रूपये देने के पश्चात मेरे से अच्छी तरह से बात कर लेगा, परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया व श्री संदीप कुमार कानि0 को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 28.07.2022 समय 07.00 एएम पर श्री संदीप कानि0 273 को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर परिवादी से सम्पर्क करने गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी के गांव रतनपुरा की ओर रवाना किया। समय 01.20 पीएम पर श्री संदीप कानि0 का मन् पुलिस निरीक्षक के पास फोन आया व बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है एंव परिवादी ने कहा कि मै चार—पांच दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में आ जाउगा इस पर परिवादी को वहीं छोड़ने व स्वंय के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। समय 05.00 पीएम पर श्री संदीप कानि0 273 ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। संदीप कानि0 ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के गांव

रतनपुरा पहुंचा, फिर वहां से रवाना होकर परिवादी के साथ मलवानी पचांयत घर के नजदीक पहुचें, वहां पर ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी सतवीर को सुपुर्द कर परिवादी को पंचायत घर की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी सतवीर मेरे पास आया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी दयाराम कृषि ग्राम सेवक से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है जिन्होने 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर अब मेरे से 5000/–रूपये लेते हुए 15,000/–रूपये रिश्वत के ओर मांगे और 4–5 दिन बाद बुलाया है एंव परिवादी सतवीर ने कहा की मै 4–5 दिन बाद रिश्वत राशि 15,000/–रूपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आ जाउगा, इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 01.08.2022 समय 08.15 एएम पर परिवादी श्री सतवीर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री सतवीर ने बताया कि दिनांक 28.07.2022 को मुझे श्री संदीप जी मेरे गांव रतनपुरा में मिले थे, हम वहां से रवाना होकर गांव मलवानी में पचायंत घर के पास पहुंचे थे वहां पर संदीप जी ने मुझे डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को चालू कर दे दिया था मैं पचांयत घर की तरफ चला गया था श्री संदीप जी बाहर ही रूक गये थे, पंचायत घर में मुझे दयाराम कृषि ग्राम सेवक जी मिले जिनसे मेरे कार्य के संबंध में वार्ता हुई तो उन्होने मेरे से 20 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर 5000/–रूपये वक्त सत्यापन लेते हुए 15,000/–रूपये रिश्वत के ओर मांगे थे और 4–5 दिन में देने के लिए कहा था मैने उक्त वार्ता डिजिटल वायॅरा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी फिर मै वहां से वापिस आकर श्री संदीप जी से मिलकर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया था और मैं वहीं पर रिश्वत राशि की व्यवस्था हेतु रूक गया था। समय 08.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को निकाल कर कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू किया गया। समय 10.30 एएम पर डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत मांगना व वक्त सत्यापन 5000/–रूपये लेने व 15,000/–रूपये रिश्वत ओर मांगने की पुष्टि होना पाया गया। समय 11.00 एएम पर परिवादी सतवीर ने बताया की आरोपी दयाराम 11.00 के बाद मिलता नहीं है इसलिए आज उसके मिलने की संभावना नहीं है कल सुबह मैं मेरे गांव में ही रिश्वत राशि 15000/–रूपये की व्यवस्था कर आपको मिल जाउंगा। इस पर परिवादी को कल सुबह 09.00 बजे अपने गांव में गोपनीय स्थान पर मिलने की आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण जरिये तहरीर गवाह श्री अमित कुमार सूचना सहायक कार्यालय जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र हनुमानगढ व श्री पवन गहलोत कनिष्ठ सहायक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ उपस्थित आये जिन्हे दिनांक 02.08.2022 को सुबह 07.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने कि हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 02.08.2022 को सुबह समय 07.00 एएम पर तलविदा गवाह श्री अमित कुमार सूचना सहायक व श्री पवन गहलोत कनिष्ठ सहायक उपस्थित आये। समय 08.00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अमित कुमार सूचना सहायक कार्यालय जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र हनुमानगढ व श्री पवन गहलोत कनिष्ठ सहायक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ व ब्यूरो स्टाफ श्री जगदीश राय मुख्य आरक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0, श्री संदीप कानि0, श्री राजेश कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री विनय विशल कानि0, व श्री अमन कुमार क0सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0 जरिये सरकारी बोलेरो गाड़ी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व फिनाफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन की डेस बोर्ड में रखकर के परिवादी के गांव रतनपुरा तहसील नोहर की तरफ रवाना हुए। समय 09.50 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय हमराहीयान के परिवादी के गांव रतनपुरा तहसील नोहर में पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री सतवीर उपस्थित मिला, उपस्थित परिवादी श्री सतवीर से हमराह आये सरकारी स्वतन्त्र गवाहान श्री अमित कुमार सूचना सहायक कार्यालय जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र हनुमानगढ व श्री पवन गहलोत कनिष्ठ सहायक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ को बुलवाया जाकर आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। वक्त 10.00 एएम पर परिवादी श्री सतवीर पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ने आरोपित को रिश्वत दी जाने वाली राशि पांच–पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000/– रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है :–

| क्र.स. | नोटों का विवरण | नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी | 6 NU 999605 |
| 2 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी | 9 BD 303005 |
| 3 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी | 0 QB 255614 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 9 GS 625129 |
| 5 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 2 LT 665622 |
| 6 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 6 PT 218134 |
| 7 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 6 TH 449807 |
| 8 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 0 SP 722261 |
| 9 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 0 GM 703719 |
| 10 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 8 CM 195084 |
| 11 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 2 ER 181838 |
| 12 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 9 HV 804925 |
| 13 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 1 HP 722585 |
| 14 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 8 FA 315205 |
| 15 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 9 DE 325896 |
| 16 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 1 UG 771005 |
| 17 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 5 BA 407101 |
| 18 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 2 SC 686125 |
| 19 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 0 MQ 201735 |
| 20 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 7 LQ 379058 |
| 21 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 2 GS 131289 |
| 22 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 9 PQ 266131 |
| 23 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 5 RR 832355 |
| 24 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 1 TB 582198 |
| 25 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 7 DE 149852 |
| 26 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 0 CT 851273 |
| 27 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 8 MV 534212 |
| 28 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 6 QV 761595 |
| 29 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 3 PB 065605 |
| 30 | एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ | रूपये का नम्बरी | 0 MN 508078 |

रूबरू गवाहन श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 578 से सरकारी गाड़ी की डेस बोर्ड में से फिनॉलफथलीन पाउडर व प्राईवेट गाड़ी मे रखे ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के रागी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री अमित कुमार सूचना सहायक से परिवादी की जामा तालाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 15,000/– रू. को श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0 से ही परिवादी के पहने कुर्ते के उपरी सामने की बांयी जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. 94137 61919/97830 96902 पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 578 के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को फिंकवाकर गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस सरकारी गाड़ी की डेश बोर्ड में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलवाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत दी गई कि वह आरोपी से मिलने से पहले वॉईस रिकॉर्ड को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉलपथलीन पाउडर अलग से तैयार की गई। समय 11.30 एएम पर परिवादी ने बताया की अभी मैने आरोपी से जरिये दूरभाष वार्ता कर उससे मिलने बाबत पूछा गया तो उसने बताया की आज मै किसी कार्य से जयपुर गया हुआ हूं और चार तारीख को आप आ जाना, इसलिए आज वो हमे नही मिलेगा, इस पर परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि व ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वतंत्र गवाहन की मौजूदगी में श्री

ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के जरिये परिवादी से प्राप्त किया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर वहीं पर ही छोड़ते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 01.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचे, गवाहन को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया, परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 15,000/रू श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। दिनांक 04.08.2022 समय 09.00 एएम पर तलविदा गवाह श्री अमित कुमार सूचना सहायक कार्यालय जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र हनुमानगढ व श्री पवन गहलोत कनिष्ठ सहायक कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी हनुमानगढ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने मालखाना से रिश्वती राशि 15,000/रू श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के जरिये निकलवायी जाकर उसे परिवादी को सुपुर्द करने हेतु सुरक्षित संभलायी गई एंव मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अमित कुमार व श्री पवन गहलोत स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ श्री जगदीश राय मुख्य आरक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0, श्री संदीप कानि0, श्री राजेश कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्री विनय विशल कानि0, व श्री अमन कुमार क0सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि0ड्रा0 जरिये सरकारी बोलेरो गाड़ी व प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर ब्यूरो कार्यालय से रायशुदा स्थान मेहना–रतनपुरा रोड़ के लिए रवाना हुए। समय 11.20 एएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा मेहना–रतनपुरा रोड़ पर पहुंचे जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी सतवीर तय स्थान पर उपस्थित मिला जिसे श्री ओमप्रकाश कानि0 ड्रा0 के पास से रिश्वती राशि 15,000/रू रूबरू गवाहान फर्द सुपुर्दगी से नोटो के नंबरों का मिलान करवाकर परिवादी को आरोपी श्री दयाराम को देने हेतु सुपुर्द की गई तथा रिश्वत लेन देन के समय रिकार्ड वार्ता हेतू डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी को मलवानी की तरफ परिवादी को उसके मोटरसाईकिल से रवाना किया गया ओर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर मलवानी ग्राम पंचायत भवन के पास पहुंच ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री सतवीर ने ग्राम पंचायत भवन मलवानी के मैनगेट के सामने खड़ी सफेद कार के पास खड़े खड़े ने ट्रेप का निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचा तो परिवादी ने ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए एक सफेद हुंडई ग्रेंड आई टेन गाड़ी नंबर आर.जे. 49 सीए 3857 की तरफ ईशारा कर गाड़ी में बैठे व्यक्ति को दयाराम कृषि ग्रामसेवक होना बताते हुए कहा की इन्होने मेरे से मेरी डिग्गी पास करने की एवज में 15000/–रूपये रिश्वत के लेकर अपने कुर्त्ते की दाहिनी जेब में रख लिये है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को गाड़ी से उतारकर उसे अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो वह घबरा गया फिर उसे तसल्ली देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र–55 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ होना बताया फिर आरोपी से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो उसने अपने पहने कुर्त्ते की दाहिनी जेब में होना बताया जिस पर आरोपी दयाराम के दोनो हाथों को हमराही स्टाफ से पकड़वा गया, मौका घटनास्थल आम रास्ता होने के कारण व बैठकर कार्यवाही हेतु उचित स्थान नहीं होने के कारण आरोपी के दोनो हाथों को पकड़े पकड़े मय हमराहीयान के कार्यालय ग्राम पंचायत मलवानी पहुंचे व अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी दयाराम गोदारा से परिवादी सतवीर से ली गई रिश्वत के संबंध में पूछा गया तो आरोपी दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक ने बताया की सतवीर के द्वारा अपनी चक 3 बारानी में डिग्गी निर्माण हेतु हमारे विभाग में आनलाईन आवेदन किया था जिसका जरिये लॉटरी चयन हुआ था, जिस पर मैने सतवीर को कहा था कि आप डिग्गी निर्माण करो, मै भौतिक सत्यापन कर आपको 3,40,000/–रूपये भुगतान दिलवा दूंगा, फिर सतवीर ने मुझे कहा की हम डिग्गी पर चार फुट मेड (मिटटी की दिवार) बनाना चाहते है मैने कहा नियमानुसार डिग्गी के चारो तरफ चार फुट मेड बनाना सही नहीं है तो इन्होने कहा की आपको खर्चा पानी दे देगें आप मेड बनाने दो और आप भौतिक सत्यापन सही कर देना, इसलिए सतवीर ने आज मुझे खर्चे–पानी के 15000/–रूपये दिये है जो मैने अपनी जेब में रख लिये है, मौके पर उपस्थित परिवादी सतवीर ने स्वतः ही बताया कि मेरी कृषि भूमि मलवानी ग्राम के चक 3 बारानी में है। मैनें मेरी कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण हेतु ई मित्रा नोहर से कृषि विभाग में आवेदन किया था जिस पर करीब 10–15 दिन पहले कृषि ग्राम सेवक श्री दयाराम का मेरे मोबाईल पर फोन आया ओर उन्होने मुझे बताया कि मैने आपका चयन आपके खेत में डिग्गी निर्माण हेतु करवा दिया है, आप मलवानी ग्राम में आकर मुझसे मिल लो। इस पर मैं ग्राम सेवक श्री दयाराम के पास गया तो उन्होने मुझे कहा कि आपका चयन मैंने करवाया है ओर आपको तीन लाख चालीस हजार रूपये मिलने हैं। अगर आप मुझे उक्त कार्य हेतु 40 हजार रूपये रिश्वत के दोगे तो ही आपके उक्त तीन लाख 40 हजार रूपये पास होंगे, वरना मैं ये डिग्गी की फाईल केन्सिल करवा दूंगा। मेरे द्वारा कहने पर की मेरे पास इतने रूपये नहीं है तो उसने कहा की चलो 20 हजार तो देने ही पड़ेगें, इससे कम नहीं होगा वरना आपकी फाईल लटक जायेगी। इस पर मेरे द्वारा आपके विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर आपके द्वारा दिनांक 28.07.2022 को गोपनीय सत्यापन करवाया तो इन्होने मेरे से 20000/–रूपये मांग कर वक्त सत्यापन 5000/–रूपये ले लिये व 15000/–रूपये अभी मेरे से लिये है मेरे द्वारा इन्हे खर्चे पानी के रूपये नही देकर उक्त राशि इनके मांगने पर रिश्वतस्वरूप दी है, आरोपी से पुनः पूछने पर वह चुप रहा, रिश्वत राशि आदान–प्रदान की पुष्ठि होने

पर आरोपी दयाराम गोदारा के दोनो हाथो की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे आरोपी दयाराम गोदारा के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपी के बांये हाथ की अगुंलियो व अगूंठे को घोल मे डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मट्मैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी दयाराम गोदारा के बताये अनुसार गवाह श्री पवन गहलोत को निर्देश देने पर गवाह श्री पवन गहलोत ने आरोपी दयाराम गोदारा के पहने कुर्त्ते की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी ली तो गवाह श्री पवन गहलोत ने 500–500/–रूपये के नोटों की थैई निकाल कर गिनकर कुल 15,000/–रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री अमित कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये, उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहने कुर्त्ते की दाहिनी साईड की जेब से बरामद हुई है, कुर्त्ते की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने पर एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर आरोपी को पहनने को टीशर्ट दिया जाकर पहने हुए कुर्त्ते को उतरवाकर उसकी दाहिनी साईड की जेब को उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर सील मोहर चिट कर मार्का पी–1, पी–2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर उक्त कुर्त्ते को सुखाकर कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी दयाराम गोदारा से परिवादी से संबंधित कार्य की पत्रावली के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया की कृषक द्वारा कृषि विभाग के ऐप पर आवेदन ऑनलाईन किया जाता है, इससे संबंधित दस्तावेज विभाग के पोर्टल पर रहते है जहां से डाउनलोड़ करके निकाले जा सकते है, इस पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) नोहर को जरिये दूरभाष परिवादी सतवीर से संबधित दस्तावेजों की प्रमाणित उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया। आरोपी दयाराम से कार के संबंध में पूछा गया तो आरोपी दयाराम ने बताया की उक्त कार मेरे पड़ौसी जगदीश स्वामी की है, जो मै आज जनसुनवाई होने के कारण मांग कर लाया था। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 01.15 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। आरोपी श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया।समय 01.40 पीएम पर वक्त रिश्वत लेन–देन रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रूबरू गवाहन व परिवादी के तैयार करनी शुरू की गई की गई। समय 02.20 पीएम पर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन व परिवादी के एक कपड़े की थैली में सील चिट किया जाकर संबधित के हस्ताक्षर करवाये गये व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। ट्रेप कार्रवाई में डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को निकालकर खाली माचिस की डिब्बी में डालकर डिब्बी को कपड़े की थैली में सीलमोहर कर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया।घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका कसीद कर फर्द मुर्तिब की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। परिवादी से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के रहवासी मकान की बरवाली पहुंच रूबरू गवाहन खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी तैयार की गई। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन की हवालात में भिजवाया गया। कार्यवाही में जब्तशुदा माल–वजह सबूत छः शिशिया, सील्डशुदा रिश्वत राशि 15,000/–रूपये, सील्डशुडा डी.वी.डी. की थैली, सील्डशुदा मैमोरीकार्ड की थैली श्री जगदीशराय मुख्य आरक्षक को सुरक्षित रखवाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखवाया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री सतवीर पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2022 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 28.07.2022 को करवाये गये सत्यापन से आरोपी श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत गलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी सतवीर से 20,000/–रूपये मांग कर वक्त सत्यापन 5000/–रूपये ले लिये व 15,000/–रूपये की मांग के तथ्य रिकॉर्ड पर आये, जिस पर दिनांक 04.08.2022 को रूबरू गवाहन 15,000/–रूपये रिश्वत राशि पर

ट्रेप का आयोजन किया गया वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परिवादी से 15,000/–रूपये प्राप्त कर अपनी पहने कुर्ते की दाहिनी साईड की जेब में रखे जहां से रिश्वत राशि बरामद होने, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन में दाहिने हाथ का धोवन हल्का गुलाबी, बांए हाथ का धोवन मटमैला व कुर्ते की दाहिनी साईड की जेब से प्राप्त धोवन गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्ठि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री दयाराम गोदारा कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी सतवीर से वक्त सत्यापन 5000/–रूपये व वक्त रिश्वत लेन देन 15000/–रूपये रिश्वत स्वरूप प्राप्त किये गये आदि तथ्यों से श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र–55 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्री दयाराम गोदारा पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र–55 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(सुभाषचन्द्र)
पुलिस निरीक्षक
भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री दयाराम गोदारा, कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत मलवानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 310/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2713-17 दिनांक 5.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान,जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

5.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।